

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

तारीख
हुकम

मामल न
अहवाल
हुकम न
म न

25/11/22

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथिया उपस्थित अर्थात्
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शावपठ
खिये जाये। अर्थात् को खितकी वार कक-कक कर
आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। बन्डे
पिकठ एक तरफा कार्यवाही किये जाने के अदेश दिये
जाते हैं वकील प्राथिया का प्राव पत्र स्वीकार किया जाकर
जिठपि सचक से लिखा जाकर शावपठ किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर भम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

खासीन अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

दस्ता संख्या- 123/22 प्र/0 पत्र

श्रीमती तुलसी देवी पत्नी गोपाललाल जीनगीर निवासी फतवाडिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री देवादास जीनगीर निवासी फतवाडिया तहसील-माण्डल
श्रीमती कमला देवी गोपाललाल जीनगीर निवासी फतवाडिया तहसील-माण्डल
शालाबाग बाण जमिन तहसीलदार साहू माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स. अधि 1956

दिनांक - 25/11/22

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
कि ग्राम फतवाडिया पटवार हल्का फतवाडिया तहसील माण्डल में उसके
संयुक्त खाते की आराजी नं. 2061/1133, 2081/1132 कुल कित्ता 0.2 रकबा 1.2015
स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
मा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
मी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का
प्रार्थी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम फतवाडिया पटवार
फतवाडिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2061/1133, 2081/1132
कित्ता 0.2 रकबा 1.2015 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
क आलासा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
पर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

नियमि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा